

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञाप संख्या-1/विकास-यो0-236/2026 239 स्वीकृत / 11

पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु कुल 3793.05 लाख रु0 (सैतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रुपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 3793.05 लाख रु0 (सैतीस करोड़ तिरानवें लाख पाँच हजार रुपये) मात्र रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

(2) गन्ना एक प्रमुख नगदी फसल है। गन्ना फसल के विकास के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। सात निश्चय-3 के अंतर्गत निश्चय-2 "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" के तहत वर्तमान में कार्यरत एवं नई चीनी मिलों की स्थापना/पुनरुद्धार के दृष्टिगत गन्ना की पर्याप्त उपलब्धता हेतु राज्य में गन्ना का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। गन्ना के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए उन्नत प्रभेदों को व्यापक पैमाने पर अपनाने हेतु बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गन्ना बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन्ही आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह कार्यक्रम स्वीकृत किया जाता है।

(3) योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 तथा कार्यालयवार स्वीकृत योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।

(4) योजना का कार्यान्वयन सहायक निदेशक, ईख विकास के द्वारा चीनी मिलों के माध्यम से किया जाएगा। इस योजनांतर्गत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी। संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा योजना का कार्यान्वयन केन केयर पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। परिशिष्ट-3 में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। योजनाओं के कार्यान्वयन की समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक होगा। योजना कार्यान्वयन में वित्तीय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कराने का पूर्ण दायित्व संयुक्त निदेशक, ईख विकास की होगी।

(5) इस योजनांतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन/अनुदान की राशि का भुगतान CFMS के माध्यम से किया जाएगा। योजनांतर्गत श्रेणीवार स्वीकृत राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित चीनी मिल के प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष एवं सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

(6) उप निदेशक, ईख विकास एवं संयुक्त निदेशक, ईख विकास समय-समय पर योजनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। सहायक निदेशक, ईख विकास, योजना के शत प्रतिशत जांच एवं धरातलीय क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, ईख विकास भ्रमण एवं समीक्षा के दौरान पाये जाने वाले त्रुटि को तत्काल संयुक्त निदेशक/ईखायुक्त को प्रतिवेदित करेंगे। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली ईख विकास की सभी योजनाओं का समीक्षा समय-समय पर किया जा सकेगा। जिला में आयोजित कृषि टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक में भी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

(7) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा एवं ईखायुक्त योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक, ईख विकास अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

(8) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख रु०)	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रु०)
1.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष- 108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0109 ईख विकास विपत्र कोड- 45-2401001080109	33 01 सब्सिडी	12818.50	3136.85
2.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-45- उपशीर्ष-0108-ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007890108	33 01 सब्सिडी	2480.00	606.888
3.	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष -00 लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग संख्या-45-उपशीर्ष- 0129 -ईख विकास विपत्र कोड संख्या- 45-2401007960129	33 01 सब्सिडी	201.50	49.312
	योग-		15500.00	3793.05

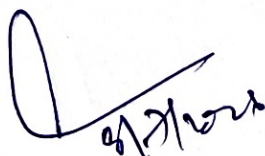
(9). इस योजना का विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

(10). योजनाओं में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य के अधीन योजनाओं के भौतिक लक्ष्य में अंतर परिवर्तन किया जा सकेगा।

(11). इस योजनांतर्गत किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया Cane Care Portal के माध्यम से किया जायेगा। सॉफ्टवेयर में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजनांतर्गत अवयववार वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत ही भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी।

(12) यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561(वि.)2 दि०-17.04.98 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विमुक्त किए गए राशि के अधीन आवंटन निर्गत किया जा सकेगा।

(13) योजना के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2 (क) के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-01.07.2026 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की कंडिका-23 पर प्राप्त है, जो संचिका के पृ०-19/टि० पर रक्षित है।



(14) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-01/विकास-यो०-236/2026 के पृष्ठ सं०-22/टि. पर प्राप्त है।

(15) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका सं०-01/विकास-यो०-236/2026 के पृष्ठ सं०-24/टि. पर प्राप्त है।

(16) वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनुलग्नक-यथोक्त:

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।
08 जुलाई, 2026

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/भोजपुर/जमुई/मुजफ्फरपुर/सहरसा/भोजपुर (आरा)/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतीहारी एवं पटना/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिल/महाप्रबंधक, प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/विकास-यो०-236/2026- 239 स्वी०/८८ पटना, दिनांक- 08 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

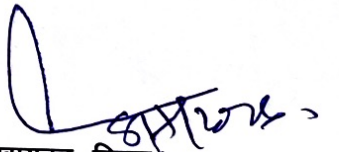
ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1

मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना "

वित्तीय वर्ष 2026-27 का स्वीकृत कार्य योजना

क्र०सं०	कार्य अवयव	अनुदान दर/अधिकतम सीमा (दोनों में से जो कम हो)		ईकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹० में)
		सामान्य	अनु० जाति/ अनु०जन जाति			
1	2	3	4	5	6	7
1	गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उत्पादन -					
1.1	न्यूक्लियस गन्ना बीज का उत्पादन एवं प्रजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि	2.50 लाख प्रति हे०		हे०	105	262.50
1.2	आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि	70,000 ₹० प्रति हे०		हे०	800	560.00
1.3	प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम	70 ₹० प्रति क्वी०टल		क्वी०	700000	490.00
	योग (1) -					1312.50
2	गन्ना बीज (सेट/सेटलिंग) वितरण पर अनुदान -					
2.1	प्रमाणित/सत्यापित बीज (सेट)	260 ₹०/क्वी०टल	310 ₹०/क्वी०टल	क्वी०	700000	1880.55
2.2	सिंगल बड (सेटलिंग)	अधिकतम 15,000 ₹० प्रति एकड़		एकड़	4000	600.00
	योग (2) -					2480.55
	Total (1+2) -					3793.05


ईखायुक्त, बिहार

[illegible]

क्र.सं.		कार्यालय का नाम	संबंध चीनी मिल का नाम	प्रमाणित/सत्यापित बीज क्रय अनुदान 280 ₹/बी.बी.टी. (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 310 ₹/बी.बी.टी.)										सिगल बड (सेटलिंग) प्रदर्शित से खेती पर अनुदान @ 15,000 ₹ प्रति एकड़ (10000 पौध प्रति एकड़)										कुल योग	
				सामान्य					अनु. जाति					अनु. जनजाति					योग						
				बी.बी.टी. (ला. ₹)	वित्तीय (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	बी.बी.टी. (ला. ₹)	वित्तीय (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	बी.बी.टी. (ला. ₹)	वित्तीय (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	अनु. जाति (ला. ₹)	योग	वित्तीय					
28			29	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
1	सहायक निदेशक, ई. विकास, बगहा	बगहा/हरियाणा/हरियाणा	173850	452.01000	33030	102.39300	3120	9.67200	210000	564.07500	703	105.45000	122	18.30000	25	3.75000	850	127.50000	854.28500	144.33600	14.95400	1013.57500			
4	सहायक निदेशक, ई. विकास, मेरिया	मेरिया/सकटियागंज	70200	182.52000	13970	43.30700	830	2.57300	85000	228.40000	331	49.65000	69	10.35000	0	0.00000	400	60.00000	351.31000	63.43600	3.15400	417.90000			
6	सहायक निदेशक, ई. विकास, मोरिया	एच. पी. सी. एच. बाली/एच. पी. सी. एच. बाली	8700	22.62000	1700	5.27000	100	0.31000	10500	28.20000	165	24.75000	32	4.80000	3	0.45000	200	30.00000	95.46000	11.26000	0.83000	107.55000			
7	सहायक निदेशक, ई. विकास, गोपालगंज	सिखविला/बिजु सुपर सि. लि. गोपालगंज	120000	312.00000	23000	71.30000	2000	6.20000	145000	388.50000	538	80.70000	104	15.60000	8	1.20000	650	97.50000	546.70000	103.00000	8.80000	658.50000			
9	सहायक निदेशक, ई. विकास, सोनमडी	सीमा सुपर सि. सीमा	26800	69.68000	5200	16.12000	500	1.55000	32500	87.35000	165	24.75000	32	4.80000	3	0.45000	200	30.00000	169.19000	24.56000	2.35000	196.10000			
10	सहायक निदेशक, ई. विकास, बनारसीपुर	हसनपुर सुपर सि. हसनपुर	128000	332.80000	25000	77.50000	2000	6.20000	155000	416.50000	455	68.25000	88	13.20000	7	1.05000	550	82.50000	560.65000	108.20000	8.65000	677.50000			
11	सहायक निदेशक, ई. विकास, मुजफ्फरपुर	-	2000	5.20000	350	1.08500	50	0.15500	2400	6.44000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	26.05000	3.88000	0.19000	30.12000			
12	सहायक निदेशक, ई. विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुपर सि. प्रयागपुर	23100	60.06000	4500	13.95000	400	1.24000	28000	75.25000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	116.68000	19.65000	1.52000	137.85000			
13	सहायक निदेशक, ई. विकास, भागलपुर	-	2500	6.50000	500	1.55000	0	0.00000	3000	8.05000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	27.70000	4.45000	0.00000	32.15000			
14	सहायक निदेशक, ई. विकास, दरभंगा	-	5800	15.08000	1100	3.41000	100	0.31000	7000	18.80000	288	43.20000	56	8.40000	6	0.90000	350	52.50000	76.34000	12.58000	1.28000	90.20000			
15	सहायक निदेशक, ई. विकास, सहरसा	-	3300	8.58000	700	2.17000	0	0.00000	4000	10.75000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	26.84000	5.21000	0.00000	32.05000			
16	सहायक निदेशक, ई. विकास, पूर्णिया	-	2500	6.50000	500	1.55000	0	0.00000	3000	8.05000	41	6.15000	9	1.35000	0	0.00000	50	7.50000	17.90000	3.25000	0.00000	21.15000			
17	सहायक निदेशक, ई. विकास, जमुई	-	3800	9.88000	800	2.48000	0	0.00000	4600	12.36000	41	6.15000	9	1.35000	0	0.00000	50	7.50000	22.19000	4.34100	0.04900	26.58000			
18	सहायक निदेशक, ई. विकास, मोजपुर (बारा)	-	1650	4.29000	350	1.08500	0	0.00000	2000	5.37500	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	21.39500	3.84500	0.03500	25.27500			
19	सहायक निदेशक, ई. विकास, गया	-	1700	4.42000	300	0.83000	0	0.00000	2000	5.35000	83	12.45000	17	2.55000	0	0.00000	100	15.00000	21.56000	3.69000	0.00000	25.25000			
20	सहायक निदेशक, ई. विकास, पटना	-	5000	13.00000	1000	3.10000	0	0.00000	6000	16.10000	84	12.60000	16	2.40000	0	0.00000	100	15.00000	32.60000	6.20000	0.00000	38.80000			
21	उप निदेशक, ई. विकास, दरभंगा	-	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000			
22	उप निदेशक, ई. विकास, मोरिया	-	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000			
23	उप निदेशक, ई. विकास, मुजफ्फरपुर	-	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000			
24	विकास एवं जन एकीकरण, गन्ना विकास विभाग	-	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	170.00000	85.00000	7.50000	262.50000			
योग-			578900	1505.14000	112000	347.20000	9100	28.21000	700000	1880.55000	3309	498.35000	639	95.85000	52	7.80000	4000	600.00000	3136.85000	606.88800	49.31200	3793.05000			

ईसायुक्त,

परिशिष्ट-3

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत " बीज विकास योजना " का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	संबद्ध बीजो मिल का नाम	स्वीकृत राशि (लाख ₹ में)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
			सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	बगहा/हरिनगर/लोरिया	854.28500	144.33600	14.95400	1013.57500	कोषागार, बैतिया, प० चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बैतिया	मंडौलिया/नरकटियागंज	351.31000	63.43600	3.15400	417.90000	कोषागार, बैतिया, प० चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	एच० पी० सी० एल० बायोप्यूल्स लि०, मुंगौली	95.46000	11.26000	0.83000	107.55000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विश्ववर्धिया/किणु सुगर मिल लि०, गोपालगंज	546.70000	103.00000	8.80000	658.50000	कोषागार, गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतानदी	सीता सुगर मिल, सीता	169.19000	24.56000	2.35000	196.10000	कोषागार, सीतानदी
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	हसनपुर सुगर मिल, हसनपुर, समस्तीपुर	560.65000	108.20000	8.65000	677.50000	कोषागार, समस्तीपुर
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	-	26.05000	3.88000	0.19000	30.12000	कोषागार, मुजफ्फरपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	बजाज हिन्दुस्तान सुगर मिल, प्रतापपुर	116.68000	19.65000	1.52000	137.85000	कोषागार, सिवान
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	-	27.70000	4.45000	0.00000	32.15000	कोषागार, भागलपुर
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	-	76.34000	12.58000	1.28000	90.20000	कोषागार, दरभंगा
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	-	26.84000	5.21000	0.00000	32.05000	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	-	17.90000	3.25000	0.00000	21.15000	कोषागार, पूर्णिया
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	-	22.19000	4.34100	0.04900	26.58000	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोजपुर (आरा)	-	21.39500	3.84500	0.03500	25.27500	कोषागार, आरा (मोजपुर)
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	-	21.56000	3.69000	0.00000	25.25000	कोषागार, गयाजी
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	-	32.60000	6.20000	0.00000	38.80000	कोषागार, पटना
17	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	कोषागार, पटना
18	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
19	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा	-	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	कोषागार, समस्तीपुर
20	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग		170.00000	85.00000	7.50000	262.50000	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग-	-	3136.85000	606.88800	49.31200	3793.05000	

ईखायुक्त, बिहार